हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	अहकाम जो ... की तामील में जारी

वादग्रस्त भूमि मे हक अर्जित होने से सुविधा का संतुलन, अपरिहार्य नुकसान इत्यादि अस्थायी निषेधाज्ञा के सभी सिद्वान्त प्रार्थीगण के पक्ष में विरूद्व विप्रार्थीगण है। यदि आगामी पेशी तारीख तक विप्रार्थीगण को अवैध एवं अनाधिक दखल/हस्तक्षेप करने से निषेधित किया जाता है तो विप्रार्थीगण को कोई हॉनि नही होगी इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं साम्या का पवित्र सिद्वान्त काबिज प्रार्थीगण के हक/पक्ष मे ही विधयमान है। हमने वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस को सुनी व मनन किया पत्रावली एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी खतौनी दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया चूँकि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र से संबंधित भूमि अपनी होना बताकर वाद, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है इस प्रकार प्रार्थीगण का इस स्तर पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है। यदि उक्त भूमि के मौके की स्थिति मे आगामी तारीख तक परिर्वतन किया जाता है तो प्रार्थीगण के उपयोग मे हस्तक्षेप किया जाता है तो प्रार्थीगण को असुविधा एवं अपूरर्णीय क्षति होगी तथा प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत करने के बाद की मौके की स्थिति मे परिर्वतन किया जाता है तो मुकदमेबाजी मे बढोतरी होगी इस स्तर पर आरजी तौर पर न्यायहित मे तीनो बिन्दु आगामी पेशी तारीख तक विवादित भूमि के रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने मे प्रार्थीगण के पक्ष मे पाये जाते है।

अतः बाद उपरोक्त विवेचन न्यायहित मे प्रार्थीगण की माफिक इस्तदुआ आगामी सुनवाई तारीख पेशी तक इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र से संबंधित विवादित भूमि मौजा सराणा के खसरा न0 क्रमशः 1467/381 रकबा 12 बीघा 09 विस्वा व ख0 स0 1468/381 रकबा 17 विस्वा भूमि की आगामी पेशी तारीख तक दोनो पक्ष प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थीगण वकील विप्राथीगण की तामिल हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे पत्रावली दिनांक 24.05.2017 को पेश हो।

(Stamp: सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा)

25-5-18

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आगामी कैम्प कोर्ट/न्याय आपके द्वार लोक अदालत कैम्प ग्रा.प. सराणा में दिनांक 27-6-18 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

27-6-18

पत्रावली कैम्प कोर्ट सराणा पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित

A.T.O.

आ...
सावलराम

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
मूल वाद सं. 35/2018 अमराम ओमप्रकाश बनाम हीराराम मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के सम्बन्ध मे प्रतिपक्षीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाने से मूल पत्रावली को आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भागीरथ राम) पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प- 2018 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बालोतरा कैम्प.. सराणा	

Scanned by CamScanner